नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

पीठासीन अधिकारी:- प्रभाती लाल जाट आर.ए.एस.

अपील सं. 17/2018

अनवान:-

महेन्द्र कुमार पुत्र सुरजा राम जाति जाट सा. मानकथेड़ी तह0 पीलीबंगा।

अपीलान्ट

बनाम

1 स्टेट जरिये तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।
3 प्रेम पुत्र त्रिलोकाराम 3 रमेश पत्र हेमाराम सुथार सा. 13 एसटीबी
5 पृथ्वीराज पुत्र बीरबलराम जाट सा. 12 एसटीबी।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.04.2018 बअदालत तहसीलदार पीलीबंगा ।

उपस्थित:- 1 श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।
3 श्री विनोद पारीक अभिभाषक रेस्पो. 2 ता 4

-:निर्णय:-

दिनांक: -21.08..2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलांट के विरूद्ध चक 5 बीआरपी के प0नं0 23/358 कि0नं0 5, 6,15,16,25 में गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने का आक्षेप लगाते हुए अपीलांट के विरूद्ध धारा 22 उपनि0 अधिनियम के नोटिस जारी किये गये। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सुदृढ आधारों पर जबावदेही प्रस्तुत की तथा यह कथन किया कि कथित रास्ता जब से मुरब्बाबंदी हुई है तभी से मौका परा नहीं चला तथा यह रास्ता दक्षिण की ओर किसी स्वीकृत रास्ता से मिलान नहीं भी नहीं करता है। इस रास्ता के अनुपयोगी होने का कथन करते हुए अपीलांट ने यह तथ्य भी प्रकट किया कि राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित कि0नं0 5,6,15,16,25 में रास्ता की प्रविष्टि गलत है तथा इस रास्ता के इन्द्राज को कलमजन किये जाने हेतु अपीलांट ने सक्षम न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के समक्ष विधिक कार्यवाही भी प्रस्तुत कर रखी है। प्रश्नगत भूमि प0नं0 23/358 कि0नं0 5,6,15,16,25 में सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक किला में 0.025 है0 गै0मु0 खाला स्वीकृत है जो मौका पर पक्का बना हुआ है। अपीलांट ने इस रास्ता की औचित्यता के संबंध में सद्भाविक विवाद होने व सक्षम न्यायालय में इस गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टि को कलमजन किये जाने हेतु वाद विचाराधीन होने का तथ्य प्रकट करते हुए धारा 22 उपनि0 अधिनियम के अर्न्तगत प्रारम्भ की कार्यवाही को ड्राप किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत सारभूत जबावदेही को नजरअंदाज करते हुए दिनाक 09.4.18 को अपीलाधीन पारित किया है। अपीलांट इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

ङ– यह कि अक्षेपित अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

छ– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में वर्णित चक 5 बीआरपी के प0नं 23/358 कि0नं0 5,6,15,16,25 में दर्ज 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कभी नहीं चला तथा ना ही इस रास्ता की किसी काश्तकार को जरूरत है। इस रास्ता की कोई उपयोगिता नहीं होने के कारण जब से चकबंदी हुई है तभी से इस रास्ता का किसी भी काश्तकार ने उपयोग व उपभोग नहीं किया है।

ग– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया है कि कथित प0नं0 23/358 कि0नं0 5,6,15,16,25 में स्वीकृत गै0मु0 रास्ता दक्षिण की ओर किसी स्वीकृत रास्ता से भी मिलान नहीं करता।

घ–यह कि प्रश्नगत रास्ता के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने हेतु अपीलांट ने सक्षम न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के समक्ष प्र0सं0 24/17 अर्न्तगत धारा 136 एलआरएक्ट दिनांक 02.8.17 को प्रस्तुत कर दिया था तथा इसमें रेस्पो0 भी बतौर प्रतिवादी सं0 11 पक्षकार रहा है।

ङ– यह कि अपीलांट ने मा.न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत रास्ता की उपयोगिता के संबंध में चक 5 बीआरपी व चक 12 एसटीबी का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इस नजरी नक्शा के मुताबिक भी चक 5 बीआरपी व 12 एसटीबी में चक ठाकरूवाला,चक 12 व 13 एसटीबी तथा गांव मानकथेड़ी के लिए सुगम व सबसे कम दूरी के रास्ते पहले से ही विद्यमान हैं। प्रश्नगत रास्ता की कोई औचित्यता भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि को ध्यान मे रखकर यांत्रिक रूप से अपीलांधीन आदेश पारित किया है तथा अपीलांट की सुदृढ एवं विधिजन्य जबावदेही व आपति को ठुकराया है।

च– यह कि प्रश्नगत भूमि प0नं0 23/358 कि0नं0 5,6,15,16,25 में सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक किला में 0.025 है0 गै0मु0 खाला स्वीकृत है जो मौका पर पक्का बना हुआ है तथा सदैव से ही इन किलों में खाला ही चलता आया है।

अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी। रेस्पो0 स0 2 ता 4 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर उनको प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता की कोई औचित्यता भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि को ध्यान मे रखकर यांत्रिक रूप से अपीलांधीन आदेश पारित किया है तथा अपीलांट की सुदृढ़ एवं विधिजन्य जबावदेही व आपति को ठुकराया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज काश्त किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

जिला कलक्टर

अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रश्नगत रास्ता की भूमि में से आवागमन करते हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर प्रश्नगत रास्ता को मौका पर खुलवाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट दिनांक 21.5.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 5 बीआरपी के प0नं0 23/358 कि0नं0 5,6,15,16,25 प्रत्येक किला में 0.025 है0 रास्ता मंजूर शुद्धा है। इस रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होती है कि उक्त किला नम्बरान में मंजूरशुद्धा रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस मंजूर शुद्धा रास्ता की भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित कर गै0मु0 रास्ता की भूमि में से अप्रार्थी (अपीलांट) को भैतिक रूप से बेदखल कर खड़ी फसल को कुर्क कर सार्वजनिक रूप से निलाम करने के आदेश जारी किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिवत जारी किया गया है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रभाती लाल जाट)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़